NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 04-10-2025

विषय सूची

» धरोहर प्रबंधन और संरक्षण: भारत में नीतिगत परिवर्तन

» ऑनलाइन गेमिंग के लिए मसौदा नियम

» नीति आयोग द्वारा विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए कर नीति कार्य पत्र जारी

» RBI द्वारा तरलता उपाय शुरू

» भारत विश्व में सबसे तीव्रता से बढ़ते डेयरी उत्पादक के रूप में उभरा

» भारत-रूस ने रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया

संक्षिप्त समाचार

» पंडित छन्नूलाल मिश्रा

» नाटो पाइपलाइन प्रणाली(NPS)

» स्टेबलकॉइन

» इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना

» प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) के अंतर्गत आकांक्षी कृषि जिलों का विकास किया जाएगा

» H125 हेलीकॉप्टर

» भारत, प्रतिष्ठित ISSA पुरस्कार 2025 से सम्मानित

» हिम तेंदुए

धरोहर प्रबंधन और संरक्षण: भारत में नीतिगत परिवर्तन

संदर्भ

- सरकार अब संरक्षित स्मारकों के संरक्षण — जो अब तक केवल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के अधिकार क्षेत्र में था — को निजी संस्थाओं के लिए खोलने की योजना बना रही है, जिससे विरासत प्रबंधन में सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल की शुरुआत होगी।

पृष्ठभूमि: ASI का विशेष अधिकार

- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की स्थापना 1861 में संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत के पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिए उत्तरदायी है।
- यह राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों के रखरखाव, संरक्षण एवं सुरक्षा में केंद्रीय भूमिका निभाता है।
- यह प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 एवं प्राचीन वस्तुएं एवं कला निधि अधिनियम, 1972 को लागू करता है।
- **ASI की संगठनात्मक संरचना:** ASI पूरे भारत में 37 क्षेत्रीय मंडलों के माध्यम से कार्य करता है, जो अपने-अपने क्षेत्राधिकार में फील्डवर्क, संरक्षण और अनुसंधान के लिए उत्तरदायी हैं। इसके विशिष्ट विभागों में शामिल हैं:
  - **विज्ञान शाखा:** संरक्षण विज्ञान और सामग्री विश्लेषण पर केंद्रित;
  - **बागवानी शाखा**: विरासत स्थलों के आसपास उद्यानों का रखरखाव करती है;
  - **जलमग्न पुरातत्व शाखा:** जलमग्न सांस्कृतिक विरासत की खोज करती है;
  - **मंदिर सर्वेक्षण परियोजनाएं:** मंदिर वास्तुकला और मूर्तिकला का दस्तावेजीकरण करती हैं।

- अब तक ASI पूरे भारत में लगभग 3,700 संरक्षित स्मारकों के संरक्षण के लिए अकेले उतार्दायी रहा है।
  - इससे प्रायः देरी होती थी और इतने विशाल संख्या में विरासत संरचनाओं के प्रबंधन की सीमित क्षमता सामने आती थी।

नया सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल

- नई पहल विरासत संरक्षण में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल को लागू करने का लक्ष्य रखती है। इस कदम के उद्देश्य हैं:
  - संरक्षण कार्य की क्षमता को बढ़ाना।
  - ASI के एकल एजेंसी दृष्टिकोण के तहत ऐतिहासिक रूप से धीमी रही परियोजना समयसीमा को तीव्र करना।
  - पेशेवर और नियामक निगरानी बनाए रखते हुए निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- सभी संरक्षण परियोजनाएं ASI की निगरानी में ही रहेंगी और उन्हें राष्ट्रीय संरक्षण नीति (2014) का पालन करना होगा।

ढांचा और कार्यान्वयन

- **राष्ट्रीय संस्कृति निधि (NCF) की भूमिका:** सभी परियोजनाओं के लिए धनराशि NCF के माध्यम से प्रवाहित की जाएगी, जिसकी स्थापना 1996 में ₹20 करोड़ की सरकारी निधि के साथ की गई थी।
  - NCF की संरचना दाताओं को सीधे संरक्षण परियोजनाओं के लिए धन देने की अनुमति देती है, साथ ही CSR पहलों के तहत 100% कर छूट मिलती है।
- **संरक्षण वास्तुकारों का पैनल:** संस्कृति मंत्रालय पूरे भारत में एक दर्जन से अधिक संरक्षण वास्तुकारों को पैनल में शामिल करने के लिए प्रस्ताव अनुरोध (RFP) जारी करेगा।
  - दाता इस पैनल से अपने संरक्षण परियोजनाओं के लिए मार्गदर्शन हेतु चयन करेंगे।
  - वास्तुकार और दाता मिलकर बाहरी कार्यान्वयन एजेंसियों को नियुक्त करेंगे जिनके पास विरासत संरक्षण का अनुभव होगा।

- प्रत्येक परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को ASI से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- इसका अर्थ है कि ASI अपनी पर्यवेक्षण भूमिका बनाए रखेगा, लेकिन निजी पक्ष अब कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में कार्य कर सकते हैं।

राष्ट्रीय संस्कृति निधि का ट्रैक रिकॉर्ड

- NCF ने 1996 से अब तक कॉर्पोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र के दाताओं से ₹140 करोड़ का दान प्राप्त किया है, जिससे 100 से अधिक संरक्षण परियोजनाओं को वित्तपोषित किया गया है।
- **पूर्ण परियोजनाएं:** भुलेश्वर मंदिर (पुणे), ब्रिटिश रेजीडेंसी (हैदराबाद), मांडू के स्मारक, पुराना किला और लाल किला (नई दिल्ली)।
- **चालू परियोजनाएं:**
  - देवबलोदा (भिलाई, छत्तीसगढ़): SAIL-भिलाई स्टील प्लांट द्वारा वित्तपोषित।
  - पर्यटक सुविधाएं: कालाअंब (पानीपत) और सिंगौरगढ़ किला (मध्य प्रदेश): इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा वित्तपोषित।
  - विक्रमशिला (बिहार) में खुदाई अवशेष: NTPC द्वारा वित्तपोषित।

नियंत्रण, संतुलन और पात्रता

- केवल प्रमाणित संरक्षण वास्तुकारों को ही पैनल में शामिल किया जाएगा।
- कार्यान्वयन एजेंसियों को 100 वर्ष से अधिक पुराने संरचनाओं के पुनर्स्थापन का पूर्व अनुभव प्रदर्शित करना होगा।
- संरक्षण प्रस्तावों को राष्ट्रीय संरक्षण नीति (2014) का सख्ती से पालन करना होगा।
- प्रारंभ में, तत्काल संरक्षण की आवश्यकता वाले 250 स्मारकों की सूची प्रकाशित की जाएगी।
  - दाता इस सूची से चयन कर सकते हैं या क्षेत्रीय/विषयगत रुचियों के आधार पर विशिष्ट स्थलों का अनुरोध कर सकते हैं।

कॉर्पोरेट और विरासत क्षेत्र के लिए

- **लाभ दाताओं के लिए:**
  - संरक्षण प्रयासों में प्रत्यक्ष भागीदारी।
  - पूर्ण CSR कर लाभ।
  - स्मारक स्थलों पर योगदान के लिए सार्वजनिक मान्यता।
- **विरासत क्षेत्र के लिए:**
  - संरक्षण परियोजनाओं के लिए धन प्रवाह में वृद्धि।
  - ASI से परे कार्यान्वयन क्षमता का विस्तार।
  - तेज परियोजना निष्पादन और बेहतर जवाबदेही।

'एक विरासत को अपनाओ' योजना के साथ तुलना

- पहले, सरकार की 'एक विरासत को अपनाओ'' पहल ने कॉर्पोरेट निकायों को स्मारक मित्र के रूप में कार्य करने की अनुमति दी थी, जो कैफे, टिकट काउंटर और शौचालय जैसी पर्यटक सुविधाओं के विकास पर केंद्रित थी।
- नई योजना इससे आगे जाती है — यह मुख्य संरक्षण कार्य में निजी भागीदारी की अनुमति देती है, जो विरासत प्रबंधन में एक प्रमुख नीतिगत बदलाव को दर्शाती है।

क्षेत्राधिकार की सुरक्षा: संवैधानिक प्रावधान

- **संघ:** प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष, जिन्हें संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है।
- **राज्य:** वे प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक जो संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित नहीं किए गए हैं।
- **समवर्ती:** उपरोक्त के अतिरिक्त, संसद द्वारा कानून द्वारा घोषित नहीं किए गए पुरातात्विक स्थल और अवशेषों पर संघ और राज्य दोनों का समवर्ती अधिकार क्षेत्र होता है।
- **अनुच्छेद 253:** यह संसद को किसी भी संधि, समझौते या सम्मेलन के कार्यान्वयन के लिए कानून बनाने की अनुमति देता है, चाहे वह किसी अन्य देश या देशों के साथ हो, या किसी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, संघ या अन्य निकाय में लिया गया निर्णय हो।
  - ऐसा कोई भी कानून तब भी बनाया जा सकता है जब उसका विषय संविधान की राज्य सूची में आता हो।

Source: IE

ऑनलाइन गेमिंग के लिए मसौदा नियम

संदर्भ

- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए मसौदा नियम जारी किए हैं।

परिचय

- ये नियम ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और विनियमन अधिनियम (PROG Act), 2025 को लागू करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं।
- यह वास्तविक धन/रियल मनी आधारित गेमिंग (RMG) प्लेटफार्मों जैसे ऑनलाइन पोकर, रम्मी और फैंटेसी स्पोर्ट्स को प्रतिबंधित करता है, जबकि केवल सामाजिक खेलों और ई-स्पोर्ट्स की अनुमति देता है।

मुख्य प्रावधान

- **ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण ऑफ इंडिया (OGAI):** यह ऑनलाइन गेमिंग की निगरानी के लिए एक समर्पित नियामक के रूप में OGAI की स्थापना का प्रस्ताव करता है।
  - प्राधिकरण को अर्ध-न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त होंगी, जैसे व्यक्तियों को तलब करना, साक्ष्य की जांच करना और बाध्यकारी आदेश जारी करना।
  - **संरचना:** अध्यक्ष और विभिन्न मंत्रालयों से 5 सदस्य।
  - **कार्य:**
    - यह तय करेगा कि कोई खेल "ऑनलाइन मनी गेम" है या नहीं।
    - ऑनलाइन खेलों का पंजीकरण करेगा।
    - दंड लगाएगा और निर्देश जारी करेगा।
    - यदि कोई खेल सट्टेबाजी या जुए के मॉडल में बदलता है तो उसका पंजीकरण रद्द करेगा।
- **अधिनियम का दायरा:** यह सभी प्रकार के ऑनलाइन मनी गेम्स को शामिल करता है जैसे पोकर, फैंटेसी स्पोर्ट्स, सट्टेबाजी।
  - यह केवल "ऑनलाइन सामाजिक खेल" और ई-स्पोर्ट्स की अनुमति देता है — जो मनोरंजन, शिक्षा या कौशल विकास के लिए होते हैं।
- **पंजीकरण:** ई-स्पोर्ट्स और सामाजिक खेलों दोनों को प्राधिकरण के साथ अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा।
  - पंजीकरण प्रमाणपत्र अधिकतम पाँच वर्षों तक वैध रहेगा।
- **विनियमन:** कंपनियों को अपने खेलों का प्राधिकरण के साथ पंजीकरण कराना होगा।
  - उन्हें राजस्व मॉडल और उपयोगकर्ता सुरक्षा सुविधाओं का विवरण देना होगा।
  - यह प्रमाण देना होगा कि राजस्व विज्ञापन, सदस्यता या एक्सेस शुल्क से आता है — सट्टेबाजी या दांव से नहीं।
- **दंड और अपराध:** ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाएं प्रदान करने पर तीन वर्ष तक की कैद और ₹1 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है।
  - ऐसे प्लेटफार्मों का विज्ञापन करने पर दो वर्ष तक की कैद और ₹50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।
  - उल्लंघन गैर-जमानती अपराध होंगे और पूरी कंपनी के कर्मचारी उल्लंघन में सहयोग के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं।
- **जुर्माना इस पर निर्भर करता है:** उल्लंघन से लाभ, उपयोगकर्ताओं को हानि तथा अपराध की पुनरावृत्ति।
- **शिकायत निवारण तंत्र (तीन-स्तरीय):**
  - गेम कंपनी की आंतरिक शिकायत प्रणाली।
  - शिकायत अपीलीय समिति (GAC) — आईटी नियम, 2021 के अंतर्गत।
  - ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण ऑफ इंडिया — अंतिम अपील।
- **विभिन्न प्राधिकरणों की भूमिका:**
  - ई-स्पोर्ट्स का नियमन युवा मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आएगा।
  - सामाजिक खेलों का नियमन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।
  - MeitY समग्र नियामक जिम्मेदारी निभाएगा।

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B) ऑनलाइन सामाजिक खेलों को वर्गीकृत करने के लिए व्यवहार संहिता और दिशानिर्देश जारी करेगा (मनोरंजन, शैक्षिक, कौशल आधारित आदि)।

महत्व

- यह सार्वजनिक हित में एक समान और राष्ट्रीय स्तर की कानूनी रूपरेखा स्थापित करेगा।
- यह देश के युवाओं को उन शोषणकारी ऑनलाइन RMG ऐप्स से बचाएगा जो उन्हें भ्रामक मौद्रिक लाभ के वादों से प्रभावित करते हैं।
- यह जुए, लत और वित्तीय जोखिमों को रोकने का प्रयास करता है, जबकि नैतिक एवं कौशल आधारित गेमिंग को बढ़ावा देता है।

Source: AIR

नीति आयोग द्वारा विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए कर नीति कार्य पत्र जारी

संदर्भ

- नीति आयोग ने कर नीति कार्य पत्र श्रृंखला–I के अंतर्गत प्रथम कार्यपत्र जारी किया है, जिसका शीर्षक है: "भारत में विदेशी निवेशकों के लिए स्थायी प्रतिष्ठान और लाभ आवंटन में कर सुनिश्चितता को बढ़ाना"। यह कर सुनिश्चितता में सुधार और अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने पर केंद्रित है।

कर सुनिश्चितता का महत्व

- **विदेशी निवेश महत्वपूर्ण है:** भारत को 2005–06 में लगभग 6 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2024–25 में 50 अरब अमेरिकी डॉलर का FDI प्राप्त हुआ है।
- **अस्पष्ट नियम समस्याएं उत्पन्न करते हैं:** विदेशी कंपनियों को प्रायः यह स्पष्ट नहीं होता कि उन्हें भारत में कर देना होगा या नहीं, क्योंकि स्थायी प्रतिष्ठान (PE) और लाभ आवंटन की परिभाषाएं स्पष्ट नहीं हैं।
- **मुकदमेबाजी में वर्षों लगते हैं:** भारत में कर विवाद प्रायः 10–12 वर्षों तक चलते हैं, जो महंगे होते हैं और निवेशकों को हतोत्साहित करते हैं।

स्थायी प्रतिष्ठान (PE) और लाभ आवंटन क्या है?

- **स्थायी प्रतिष्ठान (PE):** ऐसी स्थिति जिसमें किसी विदेशी कंपनी को भारत में "स्थायी उपस्थिति" मानी जाती है (जैसे कार्यालय, शाखा या डिजिटल व्यवसाय के माध्यम से)।
  - यदि PE मौजूद है, तो कंपनी को भारत में कर देना होगा।
- **लाभ आवंटन:** यह तय करना कि कंपनी के कितने लाभ को भारत में कर के अधीन किया जाना चाहिए।
  - यह तब जटिल हो जाता है जब व्यापार आंशिक रूप से भारत और आंशिक रूप से विदेश में होता है।

कार्यपत्र में प्रमुख प्रस्ताव

- **वैकल्पिक अनुमानित कर योजना:** विदेशी कंपनियां अपने उद्योग के अनुसार भारत में प्राप्त राजस्व पर एक निश्चित प्रतिशत कर देने का विकल्प चुन सकती हैं।
  - इससे लंबे विवादों से बचा जा सकता है और स्पष्ट अपेक्षाएं मिलती हैं।
- **विधायी स्पष्टता:** PE की परिभाषाओं और लाभ आवंटन नियमों को OECD/UN मॉडल के अनुरूप कानून में शामिल किया जाए।
  - प्रतिगामी कराधान से बचा जाए और उचित प्रक्रिया की सुरक्षा दी जाए।
- **मजबूत विवाद समाधान:** अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते (APA) और पारस्परिक समझौता प्रक्रियाओं (MAP) को सुदृढ़ किया जाए।
  - अनसुलझे मामलों में अनिवार्य मध्यस्थता की संभावना खोजें।
- **क्षमता निर्माण:** कर अधिकारियों को अंतरराष्ट्रीय कर मुद्दों में प्रशिक्षित किया जाए ताकि निरंतरता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके।
- **हितधारक सहभागिता:** कर कानूनों में परिवर्तन से पहले अनिवार्य सार्वजनिक परामर्श किया जाए।
  - करदाता चार्टर लागू किया जाए ताकि अधिकार और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

- **प्रशासनिक दक्षता:** PE लाभ आवंटन को कवर करने के लिए सुरक्षित बंदरगाह नियमों का विस्तार किया जाए।
  - OECD के TRACE सिस्टम का उपयोग करके स्रोत कर राहत को सुव्यवस्थित किया जाए।

कर कानून में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका

- वर्षों से, सर्वोच्च न्यायालय ने PE और लाभ आवंटन की व्याख्या को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
  - **फॉर्मूला वन मामला (2017):** न्यायालय ने माना कि अस्थायी व्यवस्थाएं, जैसे भारत में फॉर्मूला वन द्वारा उपयोग किया गया रेस ट्रैक, भी स्थायी प्रतिष्ठान बना सकती हैं। इससे यह स्पष्ट हुआ कि व्यापार गतिविधि की वास्तविकता, कानूनी रूप से अधिक महत्वपूर्ण है।
  - **हयात इंटरनेशनल मामला (2025):** न्यायालय ने माना कि भले ही कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी वैश्विक स्तर पर घाटे में हो, उसकी भारतीय गतिविधियों को अलग से कर के अधीन किया जा सकता है। यह "स्वतंत्र उद्यम" सिद्धांत को दर्शाता है और भारत की स्थानीय गतिविधियों पर लाभ आवंटन की शक्ति को बढ़ाता है।

भारत और अंतरराष्ट्रीय कर सुधार

- भारत ने BEPS (आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण) के अंतर्गत वैश्विक कर सुधारों में भाग लिया है। यह OECD और G20 द्वारा संचालित एक परियोजना है, जिसका उद्देश्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कर से बचाव को रोकना है। इसमें 15 "एक्शन" (सिफारिशें) हैं, जिनमें से एक है एक्शन 7।
  - **एक्शन 7:** पहले कंपनियां एजेंटों के माध्यम से कार्य करके कार्यालय खोले बिना कर से बचती थीं। एक्शन 7 ने नियमों को सख्त किया ताकि ऐसी व्यवस्थाएं भी कर के अधीन हों।
- **2019 में सुधार की आवश्यकता:** विशेष रूप से डिजिटल कंपनियों जैसे गूगल, फेसबुक, अमेज़न के लिए और सुधारों की आवश्यकता महसूस की गई। इसलिए **पिलर वन** और **पिलर टू** की शुरुआत हुई।
  - **पिलर वन:** भले ही अमेज़न या गूगल का भारत में कोई कार्यालय न हो, वे भारतीय ग्राहकों से राजस्व अर्जित करते हैं। पिलर वन सुनिश्चित करता है कि ऐसे लाभ का एक हिस्सा भारत में कर के अधीन हो।
  - **पिलर टू (वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर):** यह सभी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए 15% न्यूनतम कर निर्धारित करता है। इससे कंपनियां अपने लाभ को कम या शून्य कर वाले देशों में स्थानांतरित नहीं कर सकतीं।

आगे की राह

- नीति आयोग का कार्यपत्र एक भविष्य-उन्मुख कर प्रणाली की दिशा में मार्ग प्रशस्त करता है, जो स्पष्ट नियमों के माध्यम से भारत की कर व्यवस्था को अधिक न्यायसंगत, पारदर्शी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा योग्य बनाता है।
- मुकदमेबाजी को कम करके और विदेशी निवेश को आकर्षित करके, ये सुधार कर आधार को सुदृढ़ करते हैं और विकसित भारत@2047 की यात्रा को गति प्रदान करते हैं।

Source: PIB

RBI द्वारा तरलता उपाय शुरू

समाचार में

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने निवेशकों और कंपनियों के लिए पूंजी को अधिक सुलभ बनाने हेतु एक श्रृंखला में तरलता उपायों की घोषणा की है।

RBI द्वारा प्रमुख उपाय

- **अधिग्रहण वित्तपोषण:** प्रथम बार, बैंक अब कंपनियों को अन्य कंपनियों को खरीदने के लिए ऋण दे सकते हैं। इससे वे विलय, अधिग्रहण और समेकन सौदों को वित्तपोषित कर सकते हैं — जो वर्षों से बैंकों की मांग रही थी।
- **ऋण सीमा में वृद्धि:** RBI ने शेयरों के विरुद्ध व्यक्तिगत ऋण सीमा को ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ कर दिया है, जो पांच गुना वृद्धि है।
  - यह सीमा 1998 से नहीं बदली गई थी और मुद्रास्फीति-समायोजित वास्तविकताओं को दर्शाती है।

- **IPO वित्तपोषण में बढ़ोतरी:** केंद्रीय बैंक ने खुदरा निवेशकों के लिए IPO वित्तपोषण सीमा को ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख प्रति व्यक्ति कर दिया है, जो पहले की सीमा से अधिक है।
  - यह वृद्धि ऐसे समय में आई है जब भारत का IPO बाज़ार कई हाई-प्रोफाइल पेशकशों की तैयारी में है।
- **ऋण प्रतिभूतियों पर ऋण:** RBI ने सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों के विरुद्ध ऋण देने पर नियामक सीमा को पूरी तरह से हटा दिया है, जिससे बैंकों को इन उपकरणों के आधार पर क्रेडिट देने की अभूतपूर्व स्वतंत्रता मिली है।
  - यह उपाय बाज़ार गतिविधियों को गहरा करने और समग्र तरलता को बढ़ाने की संभावना है।
- **बड़े उधारकर्ताओं पर प्रतिबंधों की वापसी:** केंद्रीय बैंक ने पुराने ढांचे को वापस लेने की योजना बनाई है, जिसमें बहुत बड़ी कंपनियों (₹10,000 करोड़ से अधिक प्रणालीगत जोखिम वाले) को ऋण देने पर बैंकों को दंडित किया जाता था।
  - RBI ने कहा कि अब प्रणालीगत जोखिमों का प्रबंधन मैक्रोप्रूडेंशियल उपकरणों के माध्यम से किया जाएगा, जबकि बैंक व्यक्तिगत जोखिम सीमा के अंतर्गत कार्य करते रहेंगे।

इन उपायों की आवश्यकता

- **तरलता दबाव का समाधान:** विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) ने विगत वर्ष भारतीय इक्विटीज़ से $21 बिलियन की निकासी की है, जिससे रुपये पर दबाव और बाज़ार भावना में गिरावट आई है।
- **वैश्विक अनिश्चितताएँ:** ये उपाय अमेरिका के साथ व्यापार शुल्क तनाव, H1-B वीज़ा पर प्रतिबंध और पश्चिम एशिया व यूरोप में भू-राजनीतिक तनाव की पृष्ठभूमि में आए हैं, जिससे निवेशक सतर्क बने हुए हैं।
  - RBI की छूटें विशेष रूप से तरलता की कमी को दूर करने और पूंजी बाज़ार में घरेलू भागीदारी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से हैं।
- **क्रेडिट वृद्धि को बढ़ावा:** कॉर्पोरेट ऋण समग्र बैंक क्रेडिट वृद्धि का सबसे कमजोर हिस्सा रहा है।
  - अधिग्रहण वित्तपोषण की अनुमति देने से बैंक समेकन-आधारित वृद्धि में बड़ा हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां नई क्षमता निर्माण धीमा है।
- **NBFCs के साथ समानता:** ऐतिहासिक रूप से, बैंकों को शेयरों के विरुद्ध ऋण देने में सीमित रखा गया था (₹20 लाख) और उन्हें सख्त ऋण-मूल्य नियमों का पालन करना पड़ता था।
  - दूसरी ओर, NBFCs अपनी सीमा स्वयं तय कर सकते थे। ₹1 करोड़ की सीमा बढ़ाकर और ऋण प्रतिभूतियों पर ऋण देने की सीमा हटाकर, RBI ने बैंकों को अधिक न्यायसंगत मंच प्रदान किया है।
- **बड़ी कंपनियों से पुनः जुड़ाव:** 2016 के प्रतिबंधों को वापस लेना यह संकेत देता है कि RBI अब बैंकों को बड़े समूहों को अधिक स्वतंत्रता से ऋण देने की अनुमति देने को तैयार है।

अपेक्षित परिणाम

- **भागीदारी में वृद्धि:** विश्लेषकों का मानना है कि ये उपाय निवेशकों के आत्मविश्वास को काफी बढ़ाएंगे, विशेष रूप से खुदरा निवेशकों के बीच जो प्रायः वित्तीय बाधाओं का सामना करते हैं।
  - उच्च-निवल मूल्य वाले व्यक्तियों और संस्थागत निवेशकों को उनके निवेश के विरुद्ध बेहतर तरलता से लाभ होने की संभावना है।
- **बाज़ार की गहराई:** ये सुधार प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों बाज़ारों में खुदरा और संस्थागत भागीदारी को व्यापक बनाने, तरलता प्रवाह को बेहतर करने तथा वित्तीय मध्यस्थता को गहरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
  - 2025 की अंतिम तिमाही में ₹8 बिलियन के IPOs की अपेक्षा के साथ, ये उपाय बाज़ार गतिविधियों को समर्थन देने के लिए समयानुकूल हैं।
- **आर्थिक वृद्धि को समर्थन:** RBI ने बल दिया कि जबकि क्रेडिट पहुंच का विस्तार किया जा रहा है, प्रणालीगत जोखिमों का प्रबंधन मैक्रोप्रूडेंशियल उपकरणों के माध्यम से जारी रहेगा, जिससे वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होगी और बाज़ार वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा।

- ये उपाय ऋण गहनता और वित्तीय समावेशन के व्यापक विकसित भारत 2047 एजेंडे के अनुरूप हैं।

निष्कर्ष

- ये सुधार RBI द्वारा विगत 10 वर्षों में पूंजी बाज़ार में सबसे बड़ा बदलाव दर्शाते हैं, जिससे भारतीय बैंक पूंजी बाज़ार को वित्तपोषित करने और समर्थन देने में बड़ी भूमिका निभा सकेंगे।
- विशेषज्ञों का मानना है कि ये परिवर्तन भारतीय कंपनियों के लिए विदेशी ऋण को सस्ता और आसान बनाएंगे, जबकि जोखिम प्रबंधन के लिए सुदृढ़ सुरक्षा उपाय भी बनाए रखेंगे।

Source: IE

भारत विश्व में सबसे तीव्रता से बढ़ते डेयरी उत्पादक के रूप में उभरा

संदर्भ

- भारत के डेयरी क्षेत्र में विगत 11 वर्षों में 70% की वृद्धि हुई है, जिसमें दुग्ध उत्पादन 2014-15 में 146 मिलियन टन से बढ़कर 2023-24 में 239 मिलियन टन हो गया है।

भारत का डेयरी क्षेत्र

- **वैश्विक नेतृत्व:** भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, जो वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 24.76% का योगदान देता है।
- **आर्थिक योगदान:** डेयरी भारत की सबसे बड़ी एकल कृषि वस्तु है, जो GDP में 5% योगदान देती है और 8 करोड़ से अधिक किसानों को रोजगार प्रदान करती है।
- **विकास प्रदर्शन:** पशुधन क्षेत्र ने 2014-15 से 2020-21 के बीच 7.9% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर (CAGR) से वृद्धि की, जो कृषि क्षेत्र से अधिक है।
- **प्रति व्यक्ति उपलब्धता:** 2023–24 में यह बढ़कर 471 ग्राम/दिन हो गई, जो विश्व औसत 322 ग्राम/दिन से काफी अधिक है।
- **शीर्ष उत्पादक राज्य:** उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश।

भारत की डेयरी सफलता के प्रमुख कारक

- **संस्थागत समर्थन:**
  - राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) की स्थापना 1965 में आनंद में की गई थी, ताकि अमूल सहकारी मॉडल को पूरे भारत में दोहराया जा सके।
  - 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत ने भारत को विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना दिया, जिससे एक राष्ट्रीय सहकारी ढांचा तैयार हुआ जो दुग्ध संग्रहण और वितरण को सक्षम बनाता है।
  - इसके योगदान की मान्यता में, NDDB को 1987 में संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया।
- **पशु उत्पादकता में वृद्धि:**
  - भारत के पास 303.76 मिलियन पशु हैं, जो दुग्ध उत्पादन की रीढ़ हैं।
  - 2014 से 2022 के बीच भारत में पशु उत्पादकता में 27.39% की वृद्धि हुई, जो वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक है, और चीन, जर्मनी तथा डेनमार्क जैसे देशों को पीछे छोड़ चुकी है।
- **सहकारी नेटवर्क:**
  - भारत की डेयरी सहकारी समितियाँ एक मजबूत नेटवर्क द्वारा समर्थित हैं, जिसमें 22 दुग्ध महासंघ, 241 जिला सहकारी संघ, 28 विपणन डेयरियाँ और 25 दुग्ध उत्पादक संगठन (MPOs) शामिल हैं।
- **महिलाओं का योगदान:**
  - डेयरी फार्मिंग में लगभग 70% कार्यबल महिलाएँ हैं, और लगभग 35% महिलाएँ डेयरी सहकारी समितियों में सक्रिय हैं।

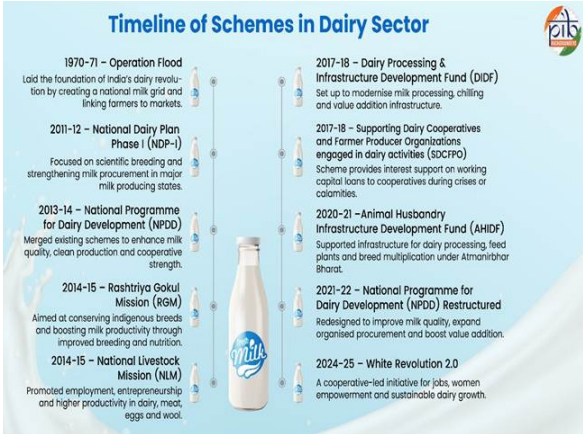

भारतीय डेयरी क्षेत्र की संरचनात्मक कमजोरियाँ

- **नस्ल उत्पादकता अंतर:** उन्नत डेयरी देशों की तुलना में उत्पादन अभी भी पीछे है, विशेष रूप से देशी नस्लों में।
  - भारतीय गायों की औसत उत्पादकता 1.64 टन/वर्ष है, जबकि EU में 7.3 टन और अमेरिका में 11 टन है।
- **भूमि और चारे की सीमाएँ:** न्यूज़ीलैंड के विपरीत, भारत में पर्याप्त चारागाह भूमि नहीं है।
  - फसल अवशेषों और खरीदे गए चारे पर निर्भरता डेयरी को महंगा बनाती है।
- **सस्ते श्रम पर निर्भरता:** डेयरी क्षेत्र में चारा देना, दुग्ध निकालना, पशुओं को नहलाना, शेड की सफाई जैसे श्रम-प्रधान कार्य होते हैं।
  - यह मॉडल बिना वेतन वाले पारिवारिक श्रम पर निर्भर करता है, जिसमें अवसर लागत बहुत कम होती है।
- **जलवायु प्रभाव और बाज़ार अस्थिरता:** अत्यधिक गर्मी उत्पादन को घटाती है और कीमतों को बढ़ाती है।
- **विकास में मंदी:** उत्पादन वृद्धि दर पहले ~6% थी, जो 2023–24 में घटकर 3.78% रह गई है, जबकि भैंस के दूध का उत्पादन 16% घटा है।
- **उत्तर-फसल क्षति:** अपर्याप्त कोल्ड-चेन और प्रसंस्करण ढांचे के कारण दुग्ध की बर्बादी होती है।

निष्कर्ष

- भारत का डेयरी क्षेत्र ग्रामीण आजीविका की रीढ़ और समावेशी विकास का प्रतीक है।
- विश्व के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देश के रूप में, भारत ने किसान-नेतृत्व वाली सहकारी समितियों, महिलाओं की भागीदारी और वैज्ञानिक तरीकों को मिलाकर उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है।
- व्हाइट रिवोल्यूशन 2.0 की गति के साथ, यह क्षेत्र उत्पादकता बढ़ाने, अवसरों का विस्तार करने और ग्रामीण समृद्धि को निरंतर रूप से रूपांतरित करने के लिए तैयार है।

Source: PIB

भारत-रूस ने रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया

समाचार में

- रूस और भारत ने बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच अपनी 25 वर्षीय रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाया है।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2000 में, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिससे द्विपक्षीय संबंधों का एक नया अध्याय शुरू हुआ।
- दिसंबर 2010 में, इस साझेदारी को "विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी" में उन्नत किया गया।
- सरकारी आयोग और 2+2 संवाद सहित कई संस्थागत संवादों के माध्यम से राजनीति, रक्षा, व्यापार, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्रों में मजबूत सहयोग सुनिश्चित किया गया है।

नेतृत्व स्तर की भागीदारी

- भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन सबसे उच्च स्तरीय संवाद तंत्र है, जिसकी 22 बैठकें दोनों देशों में बारी-बारी से आयोजित हुई हैं।
- जुलाई 2024 में मास्को में हुए शिखर सम्मेलन में 2030 तक साझेदारी और आर्थिक सहयोग पर संयुक्त वक्तव्य जारी किए गए, साथ ही 9 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए।
- भारतीय प्रधानमंत्री को रूस का सर्वोच्च सम्मान "ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू" प्रदान किया गया।
- नेता द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए नियमित रूप से फोन पर संपर्क बनाए रखते हैं।
- भारत और रूस के बीच नियमित मंत्री स्तरीय संपर्क होता है, जिसमें विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव एवं अन्य प्रमुख मंत्रियों के बीच बार-बार बैठकें होती हैं।

बहुपक्षीय भागीदारी

- भारत और रूस संयुक्त राष्ट्र, G20, ब्रिक्स एवं SCO जैसे बहुपक्षीय मंचों में निकट सहयोग करते हैं।

- 2023 में भारत की G20 और SCO अध्यक्षता के दौरान दोनों देशों ने कई उच्च स्तरीय बैठकों में भाग लिया।
- रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन करता है।
- 2024 में रूस ने ब्रिक्स की अध्यक्षता की और कज़ान में नेताओं के शिखर सम्मेलन सहित कई कार्यक्रमों की मेजबानी की, जिसमें भारत ने सक्रिय भागीदारी की।

व्यापार और आर्थिक संबंध

- भारत और रूस का लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन एवं 2025 तक निवेश को $50 बिलियन तक बढ़ाना है।
- वित्त वर्ष 2023-24 में व्यापार $65.7 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जिसमें भारत ने दवाइयाँ और मशीनरी निर्यात की, तथा रूस से तेल, उर्वरक एवं खनिज आयात किए।
  - सेवाओं का व्यापार स्थिर बना हुआ है, तथा तेल, गैस, पेट्रोकेमिकल्स, बैंकिंग, रेलवे और फार्मास्यूटिकल्स में निवेश सुदृढ़ है।

रक्षा और सुरक्षा सहयोग

- भारत और रूस के बीच IRIGC-M&MTC के अंतर्गत मजबूत रक्षा सहयोग है, जिसमें इंद्र(INDRA) और वोस्तोक(Vostok) जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास शामिल हैं।
- प्रमुख परियोजनाओं में S-400 प्रणाली, T-90 टैंक, Su-30 MKI जेट, MiG-29 और कामोव हेलीकॉप्टर, INS विक्रमादित्य, AK-203 राइफलें और ब्रह्मोस मिसाइलें शामिल हैं।
- सहयोग ने खरीदार-विक्रेता से संयुक्त अनुसंधान और विकास की दिशा में प्रगति की है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग

- भारत और रूस के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सुदृढ़ सहयोग है, जिसमें अंतरिक्ष उड़ान, नैनोटेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग तथा परमाणु ऊर्जा (कुडनकुलम संयंत्र) में संयुक्त कार्य शामिल है।
- 2021 के रोडमैप द्वारा निर्देशित यह सहयोग नवाचार, प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण और संयुक्त परियोजनाओं पर केंद्रित है, जिसे नियमित कार्य समूह बैठकों के माध्यम से समन्वित किया जाता है।

Source :DD

संक्षिप्त समाचार

पंडित छन्नूलाल मिश्रा

संदर्भ

- प्रधानमंत्री ने पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।

पंडित छन्नूलाल मिश्रा (1936–2025)

- **जन्म:** 3 अगस्त 1936 को उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ में हुआ।
- वे भारत के प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायक थे।
- उन्होंने केवल ख़याल ही नहीं सीखा, बल्कि किराना घराने की बारीकियों को भी आत्मसात किया, जिससे वे कई शास्त्रीय शैलियों में पारंगत हो गए।
  - ठुमरी, दादरा और भजन में भी उनकी विशेष महारत थी।
- **प्रमुख सम्मान:** पद्म भूषण (2010), पद्म विभूषण (2020), संगीत नाटक अकादमी फैलोशिप।
- **विरासत:** वे रियाज़ में कठोर अनुशासन और शुद्धता के प्रति गहन समर्पण के लिए जाने जाते हैं।

Source: GOI

नाटो पाइपलाइन प्रणाली(NPS)

समाचार में

- हाल ही में पोलैंड ने €4.7 बिलियन के निवेश के साथ NATO पाइपलाइन प्रणाली (NPS) में शामिल होने की योजना की घोषणा की है।

NATO पाइपलाइन प्रणाली (NPS)

- यह शीत युद्ध के दौरान स्थापित की गई थी और आधुनिक लचीलापन के साथ NATO बलों को ईंधन और स्नेहक की आपूर्ति करती है।

- यह प्रणाली लगभग 10,000 किमी में फैली हुई है, जो 12 देशों को जोड़ती है, इसकी भंडारण क्षमता 4.1 मिलियन घन मीटर है, और यह डिपो, एयर बेस, हवाई अड्डों, रिफाइनरियों एवं परिवहन बिंदुओं को जोड़ती है।
- जहाँ अधिकांश नेटवर्क राष्ट्रीय स्तर पर प्रबंधित किए जाते हैं, वहीं सेंट्रल यूरोप पाइपलाइन सिस्टम (CEPS) एक बहुराष्ट्रीय प्रणाली है जिसे NATO की सपोर्ट एंड प्रोक्योरमेंट एजेंसी द्वारा संचालित किया जाता है।

क्या आप जानते हैं?

- उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO) एक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी।
- यह यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 32 देशों का समूह है, जिसका उद्देश्य अपने सदस्य देशों की जनता तथा क्षेत्र की रक्षा करना है।
- यह सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि यदि किसी एक NATO सहयोगी पर हमला होता है, तो वह सभी NATO सहयोगियों पर हमला माना जाता है।

Source :TH

स्टेबलकॉइन

संदर्भ

- वित्त मंत्री ने कहा कि देशों को स्टेबलकॉइन के साथ "संलग्न होने की तैयारी" करनी होगी, चाहे वे इस बदलाव का स्वागत करें या नहीं।

स्टेबलकॉइन क्या हैं?

- स्टेबलकॉइन ऐसी क्रिप्टोकरेंसी होती हैं जिन्हें मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित आधारभूत संपत्तियों से जोड़ा जाता है:
  - फिएट मुद्राएं (जैसे USD, यूरो),
  - वस्तुएं (जैसे सोना),
  - अन्य क्रिप्टोकरेंसी, या
  - एल्गोरिदम-आधारित प्रणालियाँ।
- स्टेबलकॉइन केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं (CBDCs) से अलग होते हैं, जो किसी सरकार के केंद्रीय बैंक द्वारा आधिकारिक रूप से जारी और नियंत्रित की जाती हैं।
  - वहीं, स्टेबलकॉइन निजी रूप से जारी किए जा सकते हैं और विदेशी मुद्राओं से भी जुड़े हो सकते हैं।

स्टेबलकॉइन का वैश्विक परिदृश्य

- अमेरिका ने जीनियस अधिनियम पारित किया है, जो यह अनिवार्य करता है कि स्टेबलकॉइन पूरी तरह से तरल संपत्तियों (जैसे नकद या ट्रेजरी बिल) द्वारा समर्थित हों और नियमित रूप से खुलासा किया जाए।
- जापान और सिंगापुर ने स्टेबलकॉइन के लिए लक्षित विनियम प्रस्तुत किए हैं।
- चीन ने लंबे समय से अपनी संप्रभु डिजिटल युआन के विकास को प्राथमिकता दी है, हालांकि अब वह युआन-समर्थित स्टेबलकॉइन के बढ़ते उपयोग की भी समीक्षा कर रहा है।

Source: TH

इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना

संदर्भ

- केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री ने घोषणा की कि ECMS के अंतर्गत सरकार को ₹1.15 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रभावशाली उद्योग प्रतिक्रिया को दर्शाता है।

इलेक्ट्रॉनिक्स घटक निर्माण योजना

- **उद्देश्य:** घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVCs) से जोड़कर मूल्य श्रृंखला में वैश्विक/घरेलू निवेश आकर्षित करके एक मजबूत घटक निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना।
- **योजना के अंतर्गत लक्षित खंड श्रेणियाँ शामिल हैं:**
  - सब-असेंबली
  - मूल घटक
  - चयनित मूल घटक

- आपूर्ति श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र और पूंजीगत उपकरण
- सब-असेंबली - दूरसंचार

- **प्रोत्साहन के प्रकार:**
  - टर्नओवर आधारित प्रोत्साहन
  - पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) प्रोत्साहन
  - हाइब्रिड प्रोत्साहन
- **योजना की अवधि:**
  - **टर्नओवर आधारित प्रोत्साहन:** एक वर्ष की तैयारी अवधि सहित छह वर्ष
  - **पूंजीगत व्यय प्रोत्साहन:** पाँच वर्ष

Source: AIR

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) के अंतर्गत आकांक्षी कृषि जिलों का विकास किया जाएगा

समाचार में

- केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) के अंतर्गत 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 100 आकांक्षी कृषि जिलों के विकास की घोषणा की है।
  - उत्तर प्रदेश 12 जिलों के साथ अग्रणी है, इसके बाद महाराष्ट्र (9), मध्य प्रदेश और राजस्थान (प्रत्येक 8), तथा बिहार (7) जिलों के साथ हैं।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) के बारे में

- प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) को जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दी गई।
- यह योजना आकांक्षी जिलों कार्यक्रम (ADP) के आधार पर तैयार की गई है।
- यह एक परिवर्तनकारी कृषि पहल है, जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2025–26 में की गई थी।
- ₹24,000 करोड़ वार्षिक व्यय के साथ छह वर्षों की अवधि में, यह योजना 100 कृषि जिलों में विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है।
- इसमें 11 मंत्रालयों की 36 वर्तमान केंद्रीय योजनाओं का समन्वय किया जाएगा, साथ ही राज्य स्तरीय कार्यक्रमों और निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी जोड़ा जाएगा।
- नई योजनाएं शुरू करने के बजाय, यह योजना अंतिम छोर तक के किसानों को समन्वित और संतृप्ति आधारित सेवाएं प्रदान करने पर केंद्रित है, जिससे दोहराव को कम किया जा सके तथा प्रभाव को अधिकतम किया जा सके।
- PMDDKY का उद्देश्य ग्रामीण विकास को पाँच प्रमुख लक्ष्यों के माध्यम से बढ़ावा देना है:
  - कृषि उत्पादकता में वृद्धि
  - फसल विविधीकरण और स्थायित्व को प्रोत्साहन
  - स्थानीय स्तर पर कटाई के बाद भंडारण का विस्तार
  - सिंचाई अवसंरचना में सुधार
  - किसानों की कृषि ऋण तक पहुँच को सुदृढ़ करना

आकांक्षी जिलों कार्यक्रम (ADP)

- यह कार्यक्रम 2018 में पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों के विकास के लिए शुरू किया गया था, तथा इसने प्रमुख विकास संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार किया है।
- इसकी सफलता के आधार पर, 2023 में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (ABP) शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, कृषि, वित्तीय समावेशन एवं अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में 500 ब्लॉकों में आवश्यक सरकारी सेवाओं का विस्तार करना है।

Aspirational Districts Programme	Aspirational Blocks Programme
Launched in **January 2018** by Hon'ble Prime Minister	Launched in **January 2023** by Hon'ble Prime Minister
Aims to quickly and effectively transform **112 districts** across the country	Aims for saturation of essential government services in **500 Blocks** (329 Districts) across the country
Focuses on five themes: Health & Nutrition Education Agriculture & Water Resources Financial Inclusion & Skill Development Infrastructure	Focuses on five themes: • Health & Nutrition • Education • Agriculture and Allied Services • Basic Infrastructure • Social Development
Progress in measured on **81 indicators** of development	Progress is measured on **40 indicators** of development Block Profile can be accessed from **here**.

Source :IE

H125 हेलीकॉप्टर

संदर्भ

- एयरबस हेलीकॉप्टर्स, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के साथ साझेदारी में, कर्नाटक के वेमगल में भारत निर्मित H125 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए एक अंतिम असेंबली लाइन स्थापित कर रहा है।

H125 हेलीकॉप्टर्स के बारे में

- एयरबस H125 एक हल्का, सिंगल-इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, जो अपनी बहुप्रयोज्यता और उच्च ऊंचाई व उच्च तापमान की परिस्थितियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जाना जाता है।
  - H125 को पहले यूरोकॉप्टर AS350 के नाम से जाना जाता था।
- H125 नागरिक आवश्यकताओं जैसे आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं, पर्यटन, आपदा राहत एवं कानून प्रवर्तन के लिए उपयोग किया जाएगा, जबकि इसका सैन्य संस्करण (H125M) भारत की सशस्त्र सेनाओं की सेवा करेगा, विशेष रूप से हिमालय जैसे उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में।

Source: IT

भारत, प्रतिष्ठित ISSA पुरस्कार 2025 से सम्मानित

समाचार में

- भारत को कुआलालंपुर में आयोजित वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम में 'सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि' के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन (ISSA) पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है।

इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन (ISSA) के बारे में

- यह सामाजिक सुरक्षा संस्थानों, सरकारी विभागों और एजेंसियों के लिए विश्व की अग्रणी अंतरराष्ट्रीय संस्था है।
- ISSA की स्थापना 1927 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन के अंतर्गत की गई थी, और यह विश्वभर में सामाजिक सुरक्षा प्रशासन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देती है।
- यह 160+ देशों की 320 से अधिक सदस्य संस्थाओं को सहयोग प्रदान करती है, जिसमें पेशेवर समुदाय का निर्माण, मानकों एवं शोध का विकास, व्यावहारिक सेवाएं, नवाचार को बढ़ावा देना तथा वैश्विक स्तर पर समग्र सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों का समर्थन सम्मिलित है।

भारत की उपलब्धियाँ

- इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन (ISSA) पुरस्कार ने भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज को 2015 में 19% से बढ़ाकर 2025 में 64.3% तक पहुँचाने की उपलब्धि को मान्यता दी है, जिससे अब यह 940 मिलियन से अधिक नागरिकों तक पहुँच चुकी है।

Source :PIB

हिम तेंदुए

समाचार में

- हिमाचल प्रदेश में हिम तेंदुए की जनसंख्या विगत चार वर्षों में 62 प्रतिशत बढ़ी है।

हिम तेंदुआ (Panthera uncia) के बारे में

- इन्हें प्रायः "घोस्ट ऑफ़ माउंटेन" कहा जाता है — एक एकांतप्रिय बिल्ली प्रजाति जो मध्य और दक्षिण एशिया के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है।
- ये मध्य एशिया के 12 देशों में विरल रूप से फैले हुए हैं, दक्षिणी रूस से लेकर तिब्बती पठार तक, जिनमें मंगोलिया, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और नेपाल सम्मिलित हैं।
- इन्हें इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) की रेड लिस्ट में 'असुरक्षित' श्रेणी में रखा गया है और भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में सूचीबद्ध किया गया है।
- हिम तेंदुआ हिमाचल प्रदेश और लद्दाख का राज्य पशु है।
- प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड भारत सरकार द्वारा 2009 में शुरू किया गया था ताकि इस प्रजाति के वैज्ञानिक और समुदाय-केंद्रित संरक्षण को सुनिश्चित किया जा सके।

Source: IE